**<u>प्राथमिकता</u>**

**<u>संख्या-1/2016/2-ई.एम./2009-का-4-2016</u>**

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 20 जनवरी, 2016

विषय:- सेवा संवर्गों की समस्याओं/कठिनाइयों का निराकरण करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 21.07.2015 तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 30.9.2015 एवं दिनांक 09.12.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से कर्मचारी संगठनों की कठिनाइयों और उनके निराकरण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्रसारित किया गया है, परन्तु शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि उपर्युक्त शासनादेश की व्यवस्था का समुचित अनुपालन नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति शासन की नीति के अनुकूल नहीं है।

2. उपर्युक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया समसंख्यक शासनादेश दिनांक 21.7.2015 की व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, बैठक किये जाने की सूचना कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in